



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072021-228366  
CG-DL-E-19072021-228366

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2657]  
No. 2657]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/आषाढ़ 28, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2021

का.आ. 2863(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात् भारतीय रेल पहिया और धुरा संयंत्र, येलाहंका बंगलूरु को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 162(अ) तारीख 10 मार्च, 1999, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 10 मार्च, 1999 को प्रकाशित की गई थी, से उक्त अधिसूचना की सारणी की क्रम सं. 6 में, अर्थात्, "वैद्युत चाप भट्टी की पुनः रिलाइनिंग" के विनिर्दिष्ट संकर्मों में ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में राजपत्र में इस अधिसूचना के लागू होने से प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त तीन वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस कार्य को करने वाले नियमित कर्मकारों की छंटनी नहीं की जाएगी और ठेका श्रमिकों को कम से कम वह मजदूरी और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जो स्थापना में नियमित कर्मकारों को न्यूनतम संदत्त की जाती हैं, छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. एस.-16012/01/2015-एल.डब्ल्यू.]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2021

**S.O. 2863(E).**—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the Indian Railways, Wheel and Axle Plant, Yelahanka, Bengaluru from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 162(E), dated the 10th March, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th March, 1999, in respect of employment of contract labour in the works specified in the Table to the said notification at serial number 6, namely, “Relining of electric arc furnace” for a period of three years on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the conditions that the regular workers performing the activity are not retrenched and that the contract workers are given at least the wages and other facilities as available to the lowest paid regular worker in the establishment.

[F. No. S-16012/01/2015-L.W]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.